

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना -6058

सं०-०६ A / न०वि० / Development Authority-46/2015 झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम -1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित-2006 की धारा-3 (1) तथा सहपठित धारा-1 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संथाल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन, अधिसूचना निर्गत की तिथि से किया जाता है।

2. संथाल परगना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए झारखण्ड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 (अंगीकृत) यथा संशोधित-2006 के अध्याय-2 की कंडिका-8 (1) के तहत निम्नांकित भू-भाग को क्षेत्र (Region) तथा विकास क्षेत्र (Development Area) के रूप में अधिसूचित किया जाता है :—

2.1 क्षेत्र (Region) :

अधिसूचित स्थानीय शहरी निकाय क्षेत्र को छोड़कर, निम्नांकित जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्र :

क्र०	जिला का नाम
1	दुमका
2	देवघर
3	पाकुड़
4	साहबगंज
5	गोड़ा
6	जामताड़ा

2.2 विकास क्षेत्र (Development Area) :


2.2.1 उपर्युक्त कंडिका 2.1 में वर्णित जिलों में अधिसूचित शहरी निकाय क्षेत्र की सीमा से निम्नांकित परिधि के अन्तर्गत अवस्थित क्षेत्र :

क्र०	निकाय के प्रकार	निकाय क्षेत्र की सीमा के बाहर के क्षेत्र
1	नगर पंचायत	04 कि०मी० की परिधि में
2	नगर परिषद्/नगर निगम	05 कि०मी० की परिधि में

2.2.2 उपर्युक्त कंडिका 2.1 में वर्णित जिलों में जनगणना-2011 में चिह्नित सभी Census Towns के क्षेत्र की सीमा से 03 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत अवस्थित क्षेत्र।

2.3 मुख्यालय—दुमका


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-०६ A / न०वि० / Development Authority – 46/20156058

राँची, दिनांक21/12/18

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-०६ A / न०वि० / Development Authority – 46/20156058

राँची, दिनांक21/12/18

प्रतिलिपि—माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन/नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक/विशेष पदाधिकारी, सभी स्थानीय शहरी निकाय, झारखण्ड/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रभारी वेबसाईट, नगर विकास एवं आवास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव